संख्या-2/2016/2351 ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2016

विषय:- आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 2360/एक-16 (गाड़ी)/वाहन क्रय, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 एवं पत्र संख्या- सी 2982/एक-16 (गाड़ी)/वाहन क्रय, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुई 04 जीप वाहन संख्या- क्रमशः यू0पी0 70 वाई/5231, यू0पी0 70 जेड/5877, यू0पी0 15 एम/5002 एवं यू0पी0 70 वाई/5226 तथा 01 जिप्सी वाहन संख्या- यू0पी0 70 एए/1855 अर्थात कुल 05 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप 04 बोलेरो माडल एलएक्स-2, डब्लूडीबीएस-3 एनएसी क्रय किये जाने हेतु प्रति बोलैरो की कीमत डी.जी.एस एण्ड डी रेट रू0 5,63,087.00 की दर से रू0 22,52,348.00 तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 22 मई, 2015 में दी गई व्यवस्थानुसार विभागाध्यक्ष के उपयोगार्थ 01 इनोवा माडल 2.5 जी (ई-3)-एक्स को डी.जी.एस एण्ड डी रेट पर क्रय किये जाने हेतु रू0 11,43,896.00 अर्थात कुल रू0 33,96,244.00 (रूपया तैंतीस लाख छियान्नबे हजार दो सौ चौवालीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहनों का क्रय समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित संगत नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए डी.जी.एस एण्ड डी रेट के अनुसार किया जाएगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता तथा दर की वैधता सुनिश्चित कर ली जाएगी।

(2) उक्त बोलेरो माडल एलएक्स-2, डब्लूडीबीएस-3 एनएसी तथा इनोवा माडल 2.5 जी (ई-3)-एक्स का अन्य वाहनों के सापेक्ष यथासम्भव तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित कराने के पश्चात ही उपयोगिता एवं मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए ही इन वाहनों का क्रय किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) इनोवा माडल 2.5 जी (ई-3)-एक्स का उपयोग विभागाध्यक्ष द्वारा ही किया जायगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रस्तर-2 में स्वीकृत वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय 2015-16 के अनुदान संख्या-1 के लेखा शीर्ष-2039-राज्य उत्पाद शुल्क -001-निदेशन तथा प्रशासन-(आयोजनेत्तर)-03-अधीक्षण-14- मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-19/दस-2016, दिनांक 13 जनवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
उप सचिव।

संख्या- 2/2016/2351 ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।